ग्रामीण कार्य विभाग में सेवानिवृत कनीय अभियंताओं (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन

ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 567 सेवानिवृत कनीय अभियंताओं (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने के निमित आवेदन आमंत्रित किया जाता है। एतद् हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता एवं शर्त्तें निम्नवत होगीः–

1. उपर वर्णित पदों पर केवल सेवानिवृत कनीय अभियंता (असैनिक) ही आवेदन करने के पात्र होंगे। इससे इत्तर आवेदक अयोग्य माने जाएँगे।
2. आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से कम एवं 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में ही सेवानिवृत कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर चयन किया जाएगा।
3. प्रथम नियोजन अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में 02 वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने में जो पहले हो तक के लिए किया जाएगा। इसके पूर्व विभागीय आवश्यकता की पूर्त्ति हो जाती है, तो नियोजन स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।
4. बाद में कार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता को देखते हुए तथा सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर पुनः एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा (संविदा नियोजन अवधि) का विस्तार कार्यों की समीक्षा के उपरान्त अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्षों तक किया जा सकेगा। सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर कभी भी उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा, इसके लिये कोई कारण पृच्छा किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
5. आरक्षित कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को स्व–अभिप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत कनीय अभियंताओं (असैनिक) का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एतद् संबंधी समय–समय पर निर्गत प्रावधान इस संबंध में लागू माने जायेंगे।
7. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित कर्मी/कनीय अभियंता (असैनिक) का पुर्ननियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

8. आवेदन पत्र के साथ पी0पी0ओ0 संख्या अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सेवानिवृति से संबंधित साक्ष्य/सेवा इतिहास पूर्ण पदस्थापन विवरणी सहित संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

9. नियोजन/पदस्थापन के फलस्वरूप योगदान के समय स्वस्थ्य होने से संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा निबंधित चिकित्सक से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

10. सेवानिवृत कर्मी/आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि उनके विरूद्ध विभागीय स्तर पर कोई विभागीय कार्यवाही अथवा किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या अन्य मामले से संबंधित कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और न ही किसी थाने में कोई काण्ड दर्ज है। इसके साथ ही आवेदक को शपथ पत्र में अपना स्पष्ट आरक्षण कोटि का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

11. आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2020 के अपराह्न 6.00 बजे तक होगी। आवेदक अपना आवेदन अंतिम तिथि तक अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कोषांग में जमा कर सकते है अथवा रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12. सेवानिवृत कनीय अभियंता (असैनिक) को इस विभाग में संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 एवं परिपत्र सं0–3815 दिनांक–11.03.2016 में सन्निहित प्रावधान लागू होंगे।

13. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14. इसे विभागीय बेवसाईट www.rwdbihar.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

15. आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत होगा:–

ग्रामीण कार्य विभाग में सेवानिवृत कनीय अभियंताओं (असैनिक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व अभिप्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाये

1. सेवानिवृत कनीय अभियंता का नामः–
2. जन्म तिथि (साक्ष्य सहित):–
3. सेवानिवृति की तिथिः–
4. आवेदक का स्पष्ट आरक्षण कोटि (साक्ष्य सहित):–
5. विभाग के साथ संबंधित कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुये हैं:–
6. सेवानिवृत होने वाले विभाग में लम्बित कार्रवाई/आरोप/दण्ड का पूर्ण विवरणः–

   (यदि कोई कार्रवाई/आरोप/दण्ड लम्बित नहीं है तो स्पष्ट उल्लेख करें)
7. पी0पी0ओ0 की अभिप्रमाणित छायाप्रति/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सेवानिवृति से संबंधित साक्ष्यः–
8. आवेदक का स्थायी पताः–
9. आवेदक के पत्राचार का पता एवं मोबाईल नं0:–
10. आवेदक का हस्ताक्षर एवं दिनांकः–

नोटः–आवेदन के साथ स्व पता अंकित लिफाफा उचित टिकट चिपकाकर संलग्न किया जाय।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः– श्री प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
पाँचवां तल्ला, विश्वेश्वरैया भवन,
बेली रोड, पटना, पिन कोड–800023